कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

कमाक :एफ ( )2015/एफसीए/प्रमुवसं/ 6557-69 दिनांकः- 12.10.2015

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/
कोटा/उदयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव)
भरतपुर/(वन्यजीव) उदयपुर/(वन्यजीव)जयपुर/
(वन्यजीव) कोटा/(वन्यजीव) सरिस्का मु0-अलवर ।

विषयः-वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित वनभूमि के प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित वनभूमि के प्रकरणों में प्रायः आपके अधिनस्थ कार्यालयों एंव आपके स्तर से पूर्ण ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैः-

1. वेबपोर्टल OSMFCP पर ऑनलाईन रजिस्टर्ड प्रकरणों की विभिन्न स्तर पर मोनिटरिंग एवं चैकिंग हेतु नियमित www.forestclearance.nic.in वेबसाईट को देखा जावें। यदि उस पर आपका कोई प्रकरण पेंडिंग हो तो उसको समय सीमा में सक्षम स्तर के लिए प्रोसेस कराया जावें।
2. समस्त प्रकार के प्रकरणों में यह भलीभांति चैक कर लेवें कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र मय संलनग्कों के भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संलग्न हो। इसके प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.forestclearance.nic.in पर Departmental Wings में Forest Conservation के orders एवं circulars में उपलब्ध है।
3. इस कार्यालय के पत्रांक एफ 14 ( )2015/एफसीए/प्रमुवसं/4547-60 दि. 21.7.15 के अनुसर एफ.सी.ए. प्रकरणों को वेबसाईट www. forestclearance. nic.in पर दर्ज करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जावें ताकि भारत सरकार को अवगत कराया जा सकें।
4. ऑनलाईन प्रकरणों के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालना में जमा होने वाली समस्त प्रकार की निधियां E-chalan द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अंतिम विधिवत स्वीकृत प्रकरणों में भी नियमित मोनिटरिंग कर समय समय पर अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित की जावें तथा वनमण्डल स्तर पर एवं आपके कार्यालय स्तर पर पंजिका भी संधारित की जावें।
6. इस कार्यालय के पत्र दि. एफ 14 ( )2013/एफसीए/प्रमुवसं/2835-3934 दि. 3.4.14 में दिये गये निर्देशानुसार पुराने ऑफलाईन प्रकरणों को www. forestclearance.nic.in वेबसाईट पर ऑनलाईन करने की कार्यवाही शीघ्र ही करें।
7. MMDR संशोधित अध्यादेश 2015 के अन्तर्गत वनक्षेत्रों में स्थित खननलीज के वनभूमि प्रत्यावर्तन की अवधि लीज अवधि के समस्पर्शी करने की कार्यवाही राज्य सरकार के परिपत्र एफ 1 (5) वन/2010 जयपुर दिनांक 17.7.2015 के अनुसार सुनिश्चित की जावें।

उक्तानुसार पालना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें। यह पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट www. rajforest.nic.in पर उपलब्ध है।

भवदीय

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कमाक :एफ ( )2015/एफसीए/प्रमुवसं/ 6570-705 दिनांकः- 12.10.2015

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, जिला प्रभारी .... को पालना सुनिश्चित कराने हेतु ।
2. समस्त उप वन संरक्षकगण ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर